राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6(2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002/1460-1480 जयपुर, दिनांक : 1/10/19

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

समस्त राजकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन तथा राज्य सरकार के अधीन निगम/बोर्ड/पंचायतीराज संस्थाओं एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित एवं एकीकृत, सुव्यवस्थित, प्रचार–प्रसार कार्यों यथा–सजावटी विज्ञापन, साहित्य प्रचार–प्रसार एवं फिल्म निर्माण आदि के कार्य सम्पादित कराने हेतु 1 दिसम्बर 2002 को ''राजस्थान संवाद'' की स्थापना की गई है।

सभी राजकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन एवं निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन ''राजस्थान संवाद'' के माध्यम से जारी कराने हेतु विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 20.01.2003, 20.09.2010, 30.09.2014, 12.02.2015 एवं 11.03.2019 को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

कई बार यह देखने में आया है कि विज्ञापनों के संबंध में उपरोक्तानुसार जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। कई विभाग, निगम, बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा सीधे ही अपने स्तर पर समाचार पत्रों/टी.वी. चैनलों में सजावटी विज्ञापन/वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जा रहे है, जो कि उचित नहीं हैं एवं नियम विरूद्ध है। अतः सभी राजकीय विभाग सजावटी विज्ञापन एवं समस्त बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाऐं आदि अपने सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापनों का प्रकाशन/प्रसारण राजस्थान संवाद के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।

आयुक्त
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग